Air Hostesses of I.A. and A.I. not allowed to Marry

1817. SHRIMATI MRINAL GORE: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Air Hostesses employed by Air India and Indian Airlines are not allowed to marry when they are in service;

(b) whether this is one of the conditions of services;

(c) what is the term of service; and

(d) whether other Airlines in the world have a similar service condition as given in part (a) above?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTAM KAUSHIK): (a) and (b). No, Sir, but if they marry, while in service, they are required to retire from the service of the Corporation

(c) According to the Employees Service Regulations of Indian Airlines and Air-India, the retirement age of Airhostesses in India Airlines and Air-India is 30 years and 35 years respectively or when she gets married whichever is earlier. Extension by one year is granted at a time upto the age of 40.

The question of allowing Air Hostesses to continue in service even after marriage is under consideration.

(d) It is understood that some airlines permit their Air Hostesses to continue in service even after marriage, to conform to the provision in Local Laws.

यूनियन बैंक आफ इंडिया की बड़ौदा शाखा में कथित गबन

1818. श्री रामजी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 मई, 1978 के 'ब्लिट्ज' के अंग्रेजी संस्करण में यूनियन बैंक आफ इंडिया की बड़ौदा शाखा में 20 लाख रुपये के गबन के बारे में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यह समाचार कहां तक सही है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई कार्रवाई करने का विचार है और यदि हां, तो क्या और कब तक ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 528 ऋण-कर्त्ताओं में से, जिनकी बकाया राशि 62.58 लाख रुपये है, 38 ऋणकर्त्ताओं ने, उन्हें दिये गये ऋणों में से कम राशि की अदायगी की शिकायत की है जो करीब 2.07 लाख रुपये बैठती है। बैंक ने, मामले की छानबीन की थी तथा उसने तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित तीन बैंक अधिकारियों के लिखित इकबालिया बयान प्राप्त कर लिए हैं जिसमें उन्होंने रिश्वत लेना स्वीकार किया है। आगे जांच होने तक, 1 फरवरी, 1977 से, इन अधिकारियों को, बैंक सेवाओं से निलम्बित कर दिया गया है। बैंक ने, पूरी तरह जांच पड़ताल करने के लिए यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट अभी आनी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर बैंक द्वारा, बैंक शाखा के इन अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

अफीम उत्पादकों द्वारा मूल्यों में वृद्धि की मांग

1819. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :